ACM आमेर मु. जयपुर

फर्द अहकाम

भंवरू गोडू बनामं संयुक्त ~~सचिव~~ सहकारी स.

नाम न्यायालय

केस संख्या 15/25 ड/वा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	10/3/25	पत्रावली ... दिनांक 10/3/25 को ... डिस्ट्रिक्ट एड. ... जा... ओलेन्स की जावे ... पूरा ... दिनांक 12/3/25 को पेश हो।	
	12/3/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वादी व प्रतिवादी 1,2 के अधिवक्ता उपस्थित। प्रा०पत्र० O12R6 उपनियम 1 व 2 पर बहस सुनी गई। प्रार्थी/वादी अधिवक्ता ने जाहिर किया कि प्रतिवादीगण ने वादपत्र का समर्थन किया है तथा सम्पत्ति का विभाजन भी हो चुका है अतः तनकीयात एवं साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उभयपक्ष की अन्तिम बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18/3/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	18/3/25	पत्रावली प्रस्तुत। व०फ०उप०। समयाभाव के कारण आदेश जारी नहीं किये जा सके। अतः वास्ते आदेश हेतु दिनांक 19/3/2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	19/3/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व०फ०उपस्थित। वादपत्र स्वीकार कर ख०नं० 5... रकबा ... हैक्टेयर, खसरा नम्बर 546/820 रकबा 2500 हैक्टेयर में वादीगण को खातेदार काश्त 1/3 हिस्सा घोषित किया जाता है। विस्तृत निर्णय एवं डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:29:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या –15/2025 वाद प्रस्तुति दिनांक –23.01.2025

1. भंवर उर्फ मोठू पुत्र कल्याण
2. फुलचंद पुत्र कल्याण
3. जगदीश पुत्र कल्याण

समस्त जाति नाई निवासी ग्राम खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

——— वादीगण

बनाम

1. संयुक्त कृषि सहकारी समिति लिमिटेड खोराबीसल, जरिये अध्यक्ष/मंत्री/सदस्य एवं प्राधिकृत व्यक्ति पता :– प्लॉट नंबर 12, मक्का कॉलोनी, झोटवाडा, जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक कार्यालय तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।
4. उप रजिस्टार सहकारी समितियां जयपुर ग्रामीण, मिनी सचिवालय, पांचवी मंजिल कमरा नंबर 609 बनीपार्क जयपुर।

——— प्रतिवादीगण

<u>दावा उद्घोषणा, इंद्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

<u>उपस्थिति :–</u>

1. श्री मुकेश कुमार शर्मा– अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री बनवारी लाल शर्मा– अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से

निर्णय दिनांक 19.03.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, पटवार हल्का नांगल सिरस, भू–अभिलेख निरीक्षक खोराबीसल तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नंबर 546/819 रकबा 0.7400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 546/820 रकबा 1.[illegible]00 हैक्टेयर स्थित है। जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अंकित है। वाद पत्र में वर्णित आराजी के साबिक खसरा नंबर 17 रकबा 142 बीघा 18 बिस्वा है। जिसके वर्तमान खसरा नंबर 494/883, 535, 536/884, 537/885, 538, 538/798, 538/799, 538/800, 538/808, 538/809, 538/812, 538/813, 540, 540/807, 540/810, 540/811, 540/840, 541, 542,

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:29:17 IST
Reason: SelfAttested

543/815, 544, 544/801, 545, 545/802, 545/803, 545/816, 546, 546/804, 546/805, 546/817, 546/818, 546/819, 546/820, 547, 547/806 कुल किता 6 कुल रकबा 36.0200 हैक्टेयर है। उक्त साबिक खसरा नंबर 173 में से 5 बीघा जरिये विक्रय पत्र खातेदार नारायण पुत्र बालू से वर्ष 1962 को वादीगण के पिता कल्याण पुत्र गोपी ने क्रय की है तथा वर्ष 1962 को वादीगण के पूर्वज लादू पुत्र गोपी ने 2 बीघा 18 बिस्वा क्रय की थी। प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त सहकारी समिति लि. खोराबीसल राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कृषि कार्य हेतु पंजीकृत कृषि सहकारी समिति है जो छोटे–छोटे किसानों की जमीनों को एकत्रित करके संगठित रूप से कृषि कार्य करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। ताकि छोटे किसानो को कृषि कार्य से फायदा प्राप्त हो सके। उक्त समिति के नाम नामान्तकरण दिनांक 02.9.1963 को खोला गया। तथा उक्त समिति में ही वादीगण के पूर्वजों की 7 बीघा 12 बिस्वा भूमि सम्मलित की गई है जिसके वर्तमान खसरा नंबर 546/819 रकबा 0.7400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 546/820 रकबा 1.2500 हैक्टेयर है। उक्त कृषि भूमि को साबिक खसरा नंबर 173 से जरिये विक्रय पत्र वादीगण के पूर्वज द्वारा क्रय कर अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 की उक्त समिति अपने वैधानिक उद्देश्यों में सफल नहीं हो सकी। इससे उक्त समिति का विघटन हो गया। तत्पश्चात् उक्त आराज वादीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में संवत् 2054–2055 के नाम दर्ज अंकित हुआ। पदाधिकारी संख्या 1 समिति के विघटन के पश्चात् सोसायटी के पदाधिकारियों द्वारा मिलीभगत कर वादीगण की खाते की भूमि खसरा नंबर 546/819 रकबा 0.7400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 546/820 रकबा 1.2500 हैक्टेयर को पुनः समिति के नाम स्वीकृत करवा ली जबकि समिति का अस्तित्व पूर्व में ही समाप्त हो चुका था। तत्पश्चात् उक्त आराजी समिति द्वारा पुनः भूमिधारियों को प्रदत्त कर दी जिसके उपरांत वादीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में संवत 2054–2055 के नाम दर्ज अंकित हुआ। तथा समिति के समाप्त होने के बाद भी समिति के फर्जी सदस्य बनकर खातेदारों/हिस्सेधारों का हिस्सा समाप्त करने के लिए फर्जी तरीके से कार्यवाही करने पर आमादा है। तथा भूमि का बेचान करने पर आमादा है जिस कारण वादीगण को यह वाद पत्र पेश कर प्रतिवादी को पाबंद

सहायक कलक्टर
Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:29:17 IST
Reason: SelfAttested

करने का अधिकारी है। वादीगण अपने पूर्वजों की क्रयशुदा भूमि खसरा नंबर 546/819 रकबा 0.7400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 546/820 रकबा 1.2500 हैक्टेयर पर बहिस्सा बराबर–बराबर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं तथा वर्तमान में उक्त आराजी पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं है। वादीगण इस आशय की घोषणा करवाने के अधिकारी है कि वर्णित आराजी का राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दुरूस्त करवाकर वादीगण उक्त आराजी में अपना नाम बहिस्सा बराबर–बराबर अर्थात 1/3–1/3 की घोषणा करवाने के अधिकारी है। दिनांक 28.12.2024 को वादग्रस्त भूमि पर जुमन खॉ जो अपने आप को समिति का प्राधिकृत सदस्य बताता है। व उसके साथ कुछ अजनबी लोग आये और भूमि की नाप जोख करने लगे जिस पर वादीगण ने उक्त लोगों से कारण पूछा तो उनके द्वारा बताया गया कि मैं समिति का प्राधिकृत अधिकारी व मेरे पिता जी समिति के अध्यक्ष थे तथा भूमि को विक्रय हस्तान्तरण करने और कहा कि वादीगण मौके से अपना कब्जा काश्त हटा ले। जिस पर वादीगण द्वारा उक्त आराजी उनके कब्जे काश्त की व पैतृक आराजी होने के तथ्य में कहा गया तथा उक्त लोगों का विरोध किया मौके पर हल्ला व शोर शराबा सुनकर वे लोग मौके से चले गये तथा ऐलानियां धमकी देकर गये कि वे भूमि का बेचान कर देंगे तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी इस कारण वादीगण को वाद कारण उत्पन्न हुआ। और यह वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना लाजमी हुआ।

वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया कि खसरा नंबर व रकबा का राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अंकन होना स्वीकार किया। साब्रिक खसरा नंबर 173 में से 5 बीघा भूमि जरिये विक्रय पत्र खातेदार नाथ्या पुत्र बालू [illegible] 1962 को वादीगण के पिता कल्याण पुत्र गोपी ने क्रय करना स्वीकार है। [illegible] वर्ष 1962 में को लादु पुत्र गोपी ने 2 बीघा 18 बिस्वा भूमि का क्रय करना भी स्वीकार किया। वादीगण का पारिवारिक सजरा होना वादीगण स्वयं साबित करे। जिससे उत्तरदाता का किसी प्रकार का संबंध सरोकार नहीं है। तथा स्वीकार किया कि उत्तरदाता एक पंजीकृत सहकंारी समिति है। जो छोटे–छोटे किसानों की जमीनों को एकत्रित करके संगठित रूप से कृषि कार्य करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। ताकि छोटे किसानो को कृषि कार्य से फायदा प्राप्त हो सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:29:17 IST
Reason: SelfAttested

तथा उक्त समिति वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। वादीगण के पूर्वजों की 7 बीघा 12 बिस्वा भूमि सम्मलित की गई है वादीगण के पूर्व से अपने हिस्से कि भूमि पर निरंतर काबिज काश्त होकर काश्त करते आज दिन तक आ रहे हैं।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 05.03.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी की ओर से वाद पत्र के साथ विक्रय पत्र दिनांक 01.10.1962 की प्रति, नामान्तकरण संख्या 58 दिनांक 02.11.1962, नामान्तकरण संख्या 59 दिनांक 02.11.1962, जमाबंदी संवत 2054 की जिसमें वादीगण के पिता का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल, नामान्तकरण संख्या 46 दिनांक 11.12.1961 की प्रति, जमाबंदी संवत 2018–2021 व 2025–2038 एवं संवत 2058–2061, 2062–2065, हाल जमाबंदी की प्रमाणित प्रति, वादी के आधार कार्ड की प्रति, मौका रिपोर्ट की प्रति पेश किया।

वादीगण के द्वारा प्रार्थना आदेश 12 नियम 6 उपनियम 1 एवं 2 पेश किया गया तथा जाहिर किया गया कि प्रतिवादीगण ने भी वादपत्र का समर्थन किया है जिससे तनकीयात एवं साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अंतिम निर्णय पारित किया जावे। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने भी किसी प्रकार की कोई आपित्त नहीं की है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात मिलान क्षेत्रफल, नामान्तकरण संख्या 46 दिनांक 11.12.1961 की प्रति, जमाबंदी संवत 2018–2021 व 2025–2038 एवं संवत 2058–2061, 2062–2065 से जाहिर है कि उक्त आराजी पूर्व में वादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 समिति का विघटन होने पर वादीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में संवत् 2054–2055 के नाम दर्ज अंकित हुआ है। जिसका खण्डन प्रतिवादीगण ने किसी प्रकार से नहीं किया है। प्रस्तुत दस्तावेजात से कब्जे की अवधारणा भी वादीगण के पक्ष बखूबी साबित है। प्रतिवादीगण ने वादप्रत्र के खण्डन में किसी प्रकार के कोई दस्तावेजी साक्ष्य एवं अभिवचन नहीं किये है। अतः जब

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:29:17 IST
Reason: SelfAttested

समिति का विघटन/समापन हो गया है तो उक्त आराजी वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप वादपत्र स्वीकार कर वाके ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा पटवार हल्का नांगल सिरस भू अभिलेख निरीक्षक खोराबीसल तहसील रामपुरा डाबडी जयपुर के खसरा नंबर 546/819 रकबा 0.7400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 546/820 रकबा 1.2500 हैक्टेयर में वादीगण को खातेदार काश्तकार बहिस्सा बराबर–बराबर अर्थात 1/3–1/3 की घोषित किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी की जाये। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 19.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया, गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:29:17 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी: सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या –15/2025 वाद प्रस्तुति दिनांक –23.01.2025

1. भंवर उर्फ मोठू पुत्र कल्याण
2. फुलचंद पुत्र कल्याण
3. जगदीश पुत्र कल्याण

समस्त जाति नाई निवासी ग्राम खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

—— वादीगण

बनाम

1. संयुक्त कृषि सहकारी समिति लिमिटेड खोराबीसल, जरिये अध्यक्ष/मंत्री/सदस्य एवं प्राधिकृत व्यक्ति पता :– प्लॉट नंबर 12, मक्का कॉलोनी, झोटवाडा, जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक कार्यालय तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।
4. उप रजिस्टार सहकारी समितियां जयपुर ग्रामीण, मिनी सचिवालय, पांचवी मंजिल कमरा नंबर 609 बनीपार्क जयपुर।

—— प्रतिवादीगण

दावा उद्घोषणा, इंद्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादपत्र वादीगण के पक्ष में साबित होने पर वाके ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा पटवार हल्का नांगल सिरस भू अभिलेख निरीक्षक खोराबीसल तहसील रामपुरा डाबडी जयपुर के खसरा नंबर 546/819 रकबा 0.7400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 546/820 रकबा 1.2500 हैक्टेयर में वादीगण को खातेदार काश्तकार बहिस्सा बराबर–बराबर अर्थात 1/3–1/3 की घोषित किया जाता है। बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 19.03.2025 को जारी किया ।

दस्तखत——

ओहदा——

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:29:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दालेह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		